(2)

मु.नं.–39/2020 GCMS ID-2020/00081 ता.रजु–04.09.2020

न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एवं जिला कलक्टर मुकाम करौली

पीठासीन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिहाग, आई.ए.एस.

विमल चंद जैन पुत्र श्री फूलचंद जैन निवासी विवेकानंद कॉलोनी, हिण्डौन रोड, महवा जिला दौसा – अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन सिटी जिला करौली – प्रत्यर्थी

अपील अंतर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005

निर्णय

दिनांक–22.09.2020

1. अपीलार्थी को सुनवाई हेतु दिनांक 16.09.2020, 21.09.2020 व 22.09.2020 को बार–बार अवसर दिये जाने के बावजूद अपीलार्थी उपस्थित नहीं।
2. प्रत्यर्थी उपस्थित नहीं।
3. पत्रावली का अवलोकन किया गया।
4. अपीलाण्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रत्यर्थी को आवेदन पत्र प्रेषित कर आदेश क्रमांक–615/आर.ए. दिनांक 19.02.1973 की प्रति चाही गई थी जिसे प्रत्यर्थी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा यह प्रथम अपील पेश की है।
5. प्रत्यर्थी ने पत्रांक–सू.अ.अ./2020/3275 दिनांक 15.09.2020 से अवगत करवाया है कि अपीलार्थी को उनके पत्रांक–आरटीआइ/1372 दिनांक 21.01.2020 व 2718 दिनांक 24.07.2020 द्वारा सूचना उपलब्ध करवाई जा चुकी है। अंत में अपील, अपीलाण्ट को खारिज फरमाने का निवेदन किया है।
6. इस प्रकार प्रत्यर्थी द्वारा उनके विनिश्चय से अपीलार्थी को अवगत करवा दिया गया है एवं सूचना प्रेषित कर दी गई है। अपीलार्थी द्वारा अन्यथा कोई प्रतिकार भी पेश नहीं किया गया है। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को विनिश्चय से अवगत करवा दिये जाने एवं अपीलार्थी द्वारा कोई प्रतिकार पेश नहीं किये जाने से यह प्रतीत होता है कि अपीलार्थी, प्रत्यर्थी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना से संतुष्ट है। अतः प्रकरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
7. अस्तु अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है।
8. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
9. पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।
10. निर्णय आज दिनांक 22.09.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सिद्धार्थ सिहाग)
प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर
करौली